

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, कमठाई

प्रकरण सं.:-86/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1146

दिनांक:- 22-5-18

आदेश


प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सणपामानजी व भू.अ.नि. होडू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सोढो की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत 2070-2073 में खाता संख्या 9 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सोढो की ढाणी	9	326,341,342, 350,353,364,376 488 / 330, 520 / 346	गीगा, पदमा, शंकर पिसरान लाला	गीगसिंह, पदमसिंह, शंकरसिंह पुत्र लालसिंह शेष बदुस्तर



क्रमांक:-लो.अदा./2018/1147-1149

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री गीगसिंह पुत्र लालसिंह वगैरह जाति पुरोहित निवासी सोढों की ढाणी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 22-5-18


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी